

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 3112] No. 3112] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/ पौष 9, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4241(अ).—पर्यावरणीय अनापित प्रदान करने के बारे में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त् अधिसूचना कहा गया है);

- 2. और जबिक अन्य बातों के साथ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 562/2009 तारीख 30 जुलाई, 2015 में यह निदेश दिया कि तत्कालीन प्रवर्ग 'ग' खनन पट्टों के पट्टेदार के पक्ष में विद्यमान कानूनी अनुमोदन/अनापित्त नए पट्टेदारों के पक्ष में अंतरित हो जाएंगी और संबद्ध प्राधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन पर्यावरणीय अनापित्त और अनुमोदन/अस्थायी कार्य अनुज्ञा जैसे कानूनी अनुमोदनों की मंजूरी के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगा:
- 3. और जबिक कर्नाटक राज्य से संबंधित प्रवर्ग 'ग' लौह अयस्क खनन पट्टा रद्द कर दिया गया था और उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा नीलाम किया गया था;
- 4. और जबिक खान मंत्रालय ने, विधि के अनुसार कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क ब्लाकों की अनापित्त को शीघ्र निबटाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया है;
- 5. और जबिक केंद्रीय सरकार, खान मंत्रालय के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, उन व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव, जिनसे उनके प्रभावित होने की संभावना है, जनिहत में आमंत्रित करने के बारे में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त होकर उक्त अधिसूचना को संशोधित करती है;

6020 GI/2016 (1)

6. अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (सरंक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (सरंक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में जनहित में उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त होकर निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में पैरा 11 के उप पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) जहां कर्नाटक राज्य से संबंधित लौह अयस्क ब्लाक का आबंटन किसी विधिक कार्यवाही में या विधि के अनुसार सरकार द्वारा रद्द किया जाता है, वहां ऐसे लौह ब्लाक के संबंध में अनुदत्त पर्यावरणीय अनापित को उस विधिमान्यता अविध जिसमें, इसे आरंभ में अनुदत्त किया गया था, के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विधिक व्यक्ति को अंतरित की जाएगी जिसको ऐसा ब्लाक बाद में आबंटित किया जाता है और ऐसे मामले में पर्यावरणीय अनापित धारक से या संबंधित विनियामक प्राधिकारी से "अनापित" प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा और संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित को कोई निर्देश नहीं किया जाएगा।";

[सं. जैड-11013/54/2016-आईए-II (एम)]

30. का. आ. 3518(अ), तारीख 23 नवंबर, 2016 ;

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना सं. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :-

	`		
1.	का. आ. 1949(अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;	16.	का. आ. 2600(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
2.	का. आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;	17.	का. आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014 ;
3.	का. आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;	18.	का. आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
4.	का. आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;	19.	का. आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 ;
5.	का. आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;	20.	का. आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;
6.	का. आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;	21.	का. आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
7.	का. आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;	22.	का. आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
8.	का. आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;	23.	का. आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 ;
9.	का. आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;	24.	का. आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015 ;
10.	का. आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;	25.	का. आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015 ;
11.	का. आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ;	26.	का. आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016 ;
12.	का. आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;	27.	का. आ. 190(अ), तारीख 20 जनवरी, 2016 ;
13.	का. आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;	28.	का. आ. 648(अ), तारीख 3 मार्च, 2016 ;
14.	का. आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014 ;	29.	का. आ. 2269(अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 ;

का. आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014 ;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2016

- **S.O. 4241(E).**—Whereas the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), regarding granting of Environmental Clearances, (hereinafter referred to as the said notification);
- 2. And whereas, the Hon'ble Supreme Court, in Writ Petition no. 562/2009, dated the 30th July 2015, inter-alia, directed that the existing statutory approvals/clearances in favour of the lessee of the erstwhile Category 'C' mining leases will be transferred in favour of the new lessees and the concerned authority will take expeditious action for the grant of the statutory approvals such as the environmental clearance and approval/Temporary Work Permission under the Forest (Conservation) Act, 1980;
- 3. And whereas, Category 'C' iron ore mining lease pertaining to the State of Karnataka, were cancelled and auctioned by the Government of Karnataka as per the direction of the Hon'ble Supreme Court;
- 4. And whereas, the Ministry of Mines, requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to expedite the clearances of Iron Ore Blocks in Karnataka State in accordance with law;
- 5. And whereas, in view of the request of Ministry of Mines, the Central Government hereby amends the said notification by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 regarding inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, in public interest;
- 6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5, in public interest, namely:—

In the said notification, after sub-paragraph (2) of paragraph 11, following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(3) Where an allocation of iron ore block pertaining to the State of Karnataka is cancelled in any legal proceeding, or by the Government in accordance with law, the environmental clearance granted in respect of such iron block may be transferred subject to the same validity period it was initially granted, to any legal person to whom such block is subsequently allocated, and in such case, obtaining of "no objection" from either the holder of environmental clearance or from the regulatory authority concerned shall not be necessary and no reference shall be made to the Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee concerned.";

[No. Z-11013/54/2016-IA-II (M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended by:—

1.	S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;	8.	S.O. 2204 (E), dated the 19th July 2013;
2.	S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;	9.	S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
3.	S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;	10.	S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
4.	S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;	11.	S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
5.	S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;	12.	S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
6.	S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;	13.	S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;
7.	S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;	14.	S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;

	á	
1	Ί	

15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014; 23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015; S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014; 24. 16. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015; S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015; 17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014; 25. 18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015; 26. S.O.141 (E), dated the 15th January, 2016; 19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015; 27. S.O.190 (E), dated the 20th January, 2016; 20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015; 28. S.O.648 (E), dated the 3rd March, 2016; 21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015; 29. S.O.2269 (E), dated the 1st July, 2016; 22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015; 30. S.O.3518 (E), dated the 23rd November, 2016;